गोपनीय

विधान मण्डल में प्रस्तुत होने
के पश्चात निर्गत हेतु

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रेस विज्ञप्ति

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन सं. 1, वर्ष 2025
(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

प्रेस विज्ञप्ति

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1, वर्ष 2025 - उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ मे शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन सं. 1 वर्ष 2025) दिनांक ..... को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया।

उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता और प्रभावशीलता का आँकलन करने के लिए अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया हैः

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की गयी थी। नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 12 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपविधि बनायी गयी थी। इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गयी उपविधियों में एकरूपता का अभाव था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कई वर्षों में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन से सम्बंधित समान आंकड़े संसूचित किये गये थे, जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी।

(पैराग्राफ 2.3, 2.5 और 2.6)

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से 35 शहरी स्थानीय निकायों मे सफाई कर्मचारियों की कमी को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से पूरा किया गया, शेष (सात) नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवाओं के बाद भी सफाई कर्मचारियों की कमी बनी रही। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की कमी थी। शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन के क्षमता निर्माण हेतु प्रस्तावित 112 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब और अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण मात्र 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

(पैराग्राफ 2.9 और 2.11)

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मिश्रित अपशिष्ट का संग्रहण कर उसका संयंत्र तक परिवहन, भूमि भरण अथवा क्षेपण स्थल पर किया जा रहा था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों के सार्वजनिक सर्वेक्षण के दौरान स्रोत पृथक्कीकरण का कोई दृष्टांत नहीं पाया गया। नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरेलू

खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र स्थापित नहीं किये गये थे| निधि निर्गत हुये तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद ठोस अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की छंटाई के लिए 38 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। पृथक्कीकृत अपशिष्ट के संग्रहण हेतु मात्र 67 प्रतिशत टिपर ही विभाजनयुक्त थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में द्वार-द्वार संग्रहण के अंतर्गत घरों का अपर्याप्त आच्छादन पाया गया।

(पैराग्राफ 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.3 और 4.3.1)

2016-22 के दौरान राज्य स्तर पर और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों स्तर पर संग्रहीत अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्कृत अपशिष्ट क्रमशः 26 से 71 प्रतिशत और शून्य से 63 प्रतिशत था। 2005-15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से मात्र 20 संयंत्र कार्यदायी संस्था द्वारा स्थापित किये गये थे, जिनमें से मात्र 15 संयंत्र संचालित थे। अग्रेतर, 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत 36 प्रसंस्करण संयंत्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इनमें से 19 संयन्त्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। तथापि, मशीनरी क्रय हेतु निधि निर्गत न होने के कारण इन्हें क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। अवशेष 17 संयंत्रों में निर्माण कार्य पूर्ण (जुलाई 2023) नहीं हुआ था ।

(पैराग्राफ 5.1, 5.2.1 और 5.2.2)

651 शहरी स्थानीय निकायों में से 72 में पुराने अपशिष्ट का आँकलन पूर्ण किया गया था, जिससे कुल 84,57,782 मीट्रिक टन पुराना अपशिष्ट क्षेपित होना पाया गया। तथापि, अवशेष 579 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट की मात्रा का आँकलन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 5.4.2)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन जनवरी 2017 में किया गया था और 2017-22 के दौरान 10 निर्धारित बैठकों में से मात्र छः बैठकें आयोजित की गयीं थीं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपर्याप्त विवरणों/सूचनाओं के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की, जिसके परिणामस्वरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणीवार मात्रा पर अपेक्षित आँकड़ों की अनुपलब्धता हुई। राज्य में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाले 17 प्रतिशत से 43 प्रतिशत अधिभोक्ता बिना उचित प्राधिकार के संचालित थे। 2016-21 के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के प्राधिकार हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया था।

(पैराग्राफ 6.1.2, 6.1.3, 6.4.2 और 7.1)

हमने राज्य सरकार को 14 अनुशंसाएं भी दी हैं। इनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- *राज्य सरकार को प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण पर बेहतर सूचना प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए समयबद्ध तरीके से उपविधि बनायी एवं लागू की जाये।*
- *राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नागरिकों के व्यवहार में प्रभावी रूप से संवेदनशील परिवर्तन के लिए सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।*
- *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी निधि निर्दिष्ट समय के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निधियां राज्य सरकार के पास अवरुद्ध न रहें।*
- *राज्य सरकार को अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं और संग्रहकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करके अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिये और सख्त अनुश्रवण और कार्यान्वयन व्यवस्था के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक्कीकृत अपशिष्ट को मिश्रित होने से रोकना चाहिये।*
- *सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों का उपयोग समुचित क्रियाशीलता एवं धर्मकांटा सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की उचित व्यवस्था हो और शहरी स्थानीय निकायों में सभी घर द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं से आच्छादित हों ।*
- *राज्य सरकार को नियमित रूप से उत्पादित ठोस अपशिष्ट और शहरी स्थानीय निकायों में क्षेपित किये गये पुराने अपशिष्ट का शीघ्रातिशीघ्र वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये ।*
- *राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करना चाहिये ।*
- *राज्य सरकार को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण/निस्तारण सुनिश्चित*

करना चाहिये। उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उचित कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिये।

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्धारित अनुश्रवण बैठकें आयोजित की जाये और राज्य/जिला स्तर की बैठकों में उठाये गये प्रकरणों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाये।*

(राज कुमार)
प्रधान महालेखाकार

इन विषयों पर किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

प्रवक्ता : व0 उप महालेखाकार
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-211001

ईमेल : dagadmn.up2.au@cag.gov.in
वेबसाइट : https://cag.gov.in/ag1/uttar pradesh/en
फोन : 0532-2624757
फैक्स नं. : 05322424102